

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई टोंक

पीठासीन अधिकारी :- प्रीति मीणा (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 69/2023

प्रविष्टि दिनांक :- 30.06.2023

वादीगण :-

1. लल्लूलाल पुत्र नानगराम मीणा उम्र 55 वर्ष निवासी शिवदासपुरा तह0 सांगानेर जिला-जयपुर राज0

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. चिरंजीलाल पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी रूपवास तह0 निवाई जिला टोंक
2. मोहनलाल पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी देवीराम जी की ढाणी जुगलपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
3. रूकमा पुत्री श्रवण पत्नी रामेश्वर पटेल जाति मीणा निवासी हाल सीदड़ा तह0 निवाई जिला टोंक
4. जगदीश पुत्र राधाकिशन जाति मीणा निवासी रूपवास तहसील निवाई जिला टोंक
5. सत्यनारायण पुत्र राधाकिशन जाति मीणा निवासी रूपवास तहसील निवाई जिला टोंक
6. प्रभाती पत्नी राधाकिशन जाति मीणा निवासी रूपवास तहसील निवाई जिला टोंक
7. तहसीलदार निवाई जिला टोंक
8. उपपंजीयक निवाई

निर्णय

दावा बाबत तकासमा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 15.12.25

उपस्थित- श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत आराजी खसरा नंबर 2433 रकबा 0.7967 हैक्टेयर, ख0नं0 2436 रकबा 0.4806 हैक्टेयर, ख0नं0 2437 रकबा 1.5302 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक बाबत तकासमा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी जाकर वाद को तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाकर दिनांक 26.11.2025 को हिस्से व मौके कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया था। तहसीलदार निवाई से कुर्रैजात रिपोर्ट (पी0डी0) चाही गई जिसकी पालना में तहसीलदार निवाई द्वारा पी0डी0 रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार निवाई ने पत्रांक 18068 दिनांक 15.12.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल है।

तहसीलदार निवाई से प्राप्त पीडी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक को सुना गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तकासमा हेतु वाद वादी तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम रूप से डिक्री फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा भी वाद अंतिम रूप से डिक्री फरमाये जाने पर सहमति प्रदान की गई। प्रतिवादीगण का बाद सूचना अनुपस्थित रहना भी उनकी स्वीकारोक्ति को ही दर्शाता है। ऐसे में वाद वादी तहसीलदार निवाई से प्राप्त पीडी रिपोर्ट अनुसार तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।


उपखण्ड अधिकारी ..
निवाई (टोंक)

आदेश

अतः वादी का वाद तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है आराजी खसरा नंबर 2433 रकबा 0.7967 हैक्टैयर, ख0नं0 2436 रकबा 0.4806 हैक्टैयर, ख0नं0 2437 रकबा 1.5302 हैक्टैयर वाके कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

ग्राम-कस्बा निवाई, पटवार मण्डल- कस्बा निवाई प्रथम तहसील निवाई, जिला टोंक

जमाबंदी संवत् 2079,		खसरा नं0-2433,2436,2437 (रकबा हैक्टैयर मे)	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1 वादी	लल्लूलाल पुत्र नानगराम जाति मीणा सा0 शिवदासपुरा खातेदार	2433/1	0.04
		2436/1	0.08
		2437/1	0.5123
	योग		किता-3
2 प्रतिवादीगण	चिरंजीलाल पुत्र गंगाराम हि0 14915/21752 जाति मीणा सा0 देह खातेदार (राहिन 13160/21752) जमा0 बदस्तुर, मोहनलाल पि0 श्रवण हि0 1827/21752 रूकमा पुत्री श्रवण 1827/21752 हनुमान पुत्र श्रवण हि0 366/21752 लछमा पुत्री श्रवण हि0 366/21752 राधाकिशन पुत्र ग्यारसीलाल हि0 2451/21752 सा0 देह खातेदार	2433/2	0.7567
		2436/2	0.4006
		2437/2	1.0179
	योग		किता-3

आज दिनांक 15/12/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


 (उपखण्ड अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी, निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :- प्रीति मीणा (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 69/2023

प्रविष्टि दिनांक :- 30.06.2023

वादीगण :-

1. लल्लूलाल पुत्र नानगराम मीणा उम्र 55 वर्ष निवासी शिवदासपुरा तह0 सांगानेर जिला-जयपुर राज0

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. चिरंजीलाल पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी रूपवास तह0 निवाड़ जिला टोंक
2. मोहनलाल पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी देवीराम जी की ढाणी जुगलपुरा तह0 निवाड़ जिला टोंक
3. रूकमा पुत्री श्रवण पत्नी रामेश्वर पटेल जाति मीणा निवासी हाल सीदड़ा तह0 निवाड़ जिला टोंक
4. जगदीश पुत्र राधाकिशन जाति मीणा निवासी रूपवास तहसील निवाड़ जिला टोंक
5. सत्यनारायण पुत्र राधाकिशन जाति मीणा निवासी रूपवास तहसील निवाड़ जिला टोंक
6. प्रभाती पत्नी राधाकिशन जाति मीणा निवासी रूपवास तहसील निवाड़ जिला टोंक
7. तहसीलदार निवाड़ जिला टोंक
8. उपपंजीयक निवाड़

निर्णय

दावा बाबत तकासमा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, निवाड़ व हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है। वादी का वाद तहसीलदार निवाड़ से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है हाल आराजी खसरा नंबर 2433 रकबा 0.7967 हैक्टेयर, ख0नं0 2436 रकबा 0.4806 हैक्टेयर, ख0नं0 2437 रकबा 1.5302 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाड़ तहसील निवाड़ जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार निवाड़ से प्राप्त पीडी रिपोर्ट, किया जाता है जिसका विस्तृत रूप से उल्लेख आदेश में वर्णित है। तहसीलदार निवाड़ आदेश में वर्णित रकबे के अनुसार आदेश की पालना करें।

(प्रीति मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, निवाड़

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीज़ान			मीज़ान		

आज दिनांक 30.06.2023 को ये अंतिम डिक्री पर्चा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाड़